



कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया (म.प्र.)

दतिया दिनांक- 20/05/2020

॥ आदेश ॥

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त माह मई 2020 से माह जून -2020 में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक/घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण अपने-अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 03:00 बजे से उपस्थित होकर शाम 05:00 बजे तक संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा।

जिला न्यायालय (मुख्यालय) दतिया

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	मई- 2020	जून - 2020
1	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया म.प्र.	-	7
2	सु.श्री. ऋचा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया म.प्र.	-	14
3	सुश्री दीक्षा दोहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दतिया म.प्र.	-	20
4	सुश्री गुंजन गौड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया म.प्र.	31	21,28

नोट:- सार्वजनिक अवकाश दिवस में बाल न्यायालय से संबंधित आवश्यक कार्य बाल न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित किये जाएंगे एवं यदि उक्त सार्वजनिक अवकाश दिनांक में बाल न्यायालय पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते हैं अथवा मुख्यालय से बाहर रहते हैं उस स्थिति में बाल न्यायालय से संबंधित आवश्यक कार्य उक्त दिनांक को मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किये जावेंगे।

न्यायालय सेवका (दतिया)

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	मई- 2020	जून - 2020
1	श्री लवकेश सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवका जिला दतिया म.प्र.	31	7,14
2	श्री आशीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सेवका जिला दतिया म.प्र.	-	20,21,28

न्यायालय भाण्डेर (दतिया)

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	मई- 2020	जून - 2020
1	श्रीमती रुचि सगर, जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.	31	7,14
2	श्री वेद प्रकाश सगर, जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर जिला दतिया म.प्र.	-	20,21,28

## आवश्यक निर्देश:-

1. सामान्य कार्यदिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो उक्त अवकाश दिनांक को, उपरोक्त उल्लेखित अवकाश घोषित होने के पूर्व रिमांड ड्यूटी कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वर्णित आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।
2. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की रिमांड ड्यूटी निरस्त मानी जायेगी।
3. यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन होता है तो उसके स्थान पर आने वाले न्यायिक अधिकारी, पूर्व अधिकारी की भांति उक्त कार्य संपादित करेंगे। यदि स्थानांतरण/प्रमोशन होने वाले न्यायिक अधिकारी के स्थान पर कोई अधिकारी नहीं आता है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक या लिखित निर्देशानुसार मुख्यालय पर उपस्थित कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे।
4. रिमांड ड्यूटी हेतु आवश्यक कार्य में रिमांड, सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदन आदि की सुनवाई एवं निराकरण सम्मिलित रहेंगे।
5. सेवदा एवं भाण्डेर न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने पर रिमांड हेतु मामले जिला मुख्यालय दतिया पर रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. रिमांड ड्यूटी हेतु नियोजित दिनांक को संबंधित न्यायिक अधिकारी को किसी आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया को पूर्व लिखित सूचना दी जाकर स्थापन पर पदस्थ अन्य न्यायिक अधिकारी की सहमति से रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकती है।

अनुमोदित  
Sumit  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
दतिया (म.प्र.)  
पृष्ठांकन क्रमांक 954/2020  
प्रतिलिपि:-  
408

रोहित सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला- दतिया म.प्र.

दतिया दिनांक:- 22-5-20

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (म.प्र.) उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर।
3. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म.प्र.)।
4. माननीय जिला न्यायाधीश (सर्तकता) ग्वालियर (म.प्र.)।
5. माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) दतिया (म.प्र.)।
6. समस्त न्यायालय - ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया/सेवदा/भाण्डेर (दतिया)।
7. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक दतिया एवं एस.डी.ओ.पी. दतिया, बड़ौनी, सेवदा एवं भाण्डेर।
8. जिला अभियोजन अधिकारी दतिया (म.प्र.)।
9. सचिव वार एसोसिएशन दतिया, सेवदा एवं भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से प्रेषित।

रोहित सिंह  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला- दतिया म.प्र.